


18/8
25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी को
आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज
लगाने के बावजूद भी वकील वादी व वादी
न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर वादी
का वाद अहम हाजरी अहम पेशी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली पेश
शुमार होकर नम्बर कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।


उपसमूह अधिकारी
बंगलौर